भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4022
जिसका उत्तर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

परिवार न्यायालयों में लम्बित मामले

4022. डॉ. उमेश जी जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परिवार न्यायालयों में लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ख) न्यायालयों में लंबित मामलों के पीछे क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : देश में कुटुम्ब न्यायालों में लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या **उपाबंध** के अनुसार है।

(ख) से (ग) : अधीनस्थ न्यायालय, जिसके अंतर्गत कुटुम्ब न्यायालय भी हैं, की स्थापना और उनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में आता है। कुटुम्ब न्यायालयों की भूमिका और कृत्य कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 द्वारा शासित होते हैं। कुटुम्ब न्यायालय संबद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से सुलह को बढावा देने और कुटुम्ब विवादों के तीव्र निपटान को सुरक्षित करने की दृष्टि से स्थापित किए जाते हैं।

14 वें वित्त आयोग (एफसी) ने कुटुम्ब विवादों से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए उन जिलों में जहां ऐसे न्यायालय नहीं है, वित्त आयोग ने अपने ज्ञापन के एक घटक के रुप में 541 करोड़ रुपये की लागत से 235 कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने के भारत सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, 14वें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% तक कर-न्यागमन के रुप में आयोग द्वारा उपबंधित अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था का उपयोग करने के लिए कहा था। संघ सरकार ने राज्य सरकारों से 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का भी अनुरोध किया है, जिसके अंतर्गत वे सिफारिशें भी हैं जो कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है।

****

उपाबंध

क्र.सं.	**राज्य /संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**कार्यरत कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)**	**कुटुम्ब न्यायालयों में लंबित मामले**
1.	आंध्र प्रदेश	14	**30.06.2019 की स्थिति के अनुसार** 9820
2.	असम	05	**30.06.2019 की स्थिति के अनुसार** 7410
3.	नागालैंड	02	**30.06.2019 की स्थिति के अनुसार** 61
4.	बिहार	39	**30.06.2019 की स्थिति के अनुसार** 49669
5.	छत्तीसगढ़	21	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 12904
6.	दिल्ली	21	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 31737
7.	महाराष्ट्र	33	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 41949
8.	गुजरात	37	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 27057
9.	हरियाणा	22	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 33358
10.	पंजाब	16	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 29471
11.	हिमाचल प्रदेश	03	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 12197
12.	झारखंड	19	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 10259
13.	कर्नाटक	32	**01.07.2019 की स्थिति के अनुसार** 30305
14.	केरल और लक्षदीप	28	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 71829
15.	मध्य प्रदेश	58	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 46067
16.	मणिपुर	07	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 655
17.	ओडिशा	25	**30.06.2019 की स्थिति के अनुसार** 34638
18.	राजस्थान	39	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 36590
19.	सिक्किम	04	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 118
20.	तमिलनाडु	30	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 21688
21.	पुडुचेरी	02	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 990
22.	त्रिपुरा	04	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 1715
23.	उत्तर प्रदेश	108	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 291754
24.	उत्तराखंड	16	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 10867
25.	पश्चिमी बंगाल	02	**31.05.2019 की स्थिति के अनुसार** 1243
26.	अंदमान और निकोबार	01	**27.06.2019 की स्थिति के अनुसार** 647
27.	तेलंगाना	16	**31.03.2019 की स्थिति के अनुसार** 12951

****